कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा

मो0 नं0 :- 9431040810

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शेखपुरा जिला अन्तर्गत विभिन्न प्रखंडो में सुखाड़ एवं बाढ़ (आपदा) के समय वित्तीय वर्ष 2019–20 में पशुओं के लिए सूखाचारा (गेहूँ भूसा, नेवारी कुट्टी,चोकर,चुन्नी) क्रय के लिए दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा हेतु दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशन की तिथि से एक्कीस दिन (21 दिन) अपराहन् 5 बजें दिन तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी एवं अगले दिन 3 बजे अपराहन में जिला स्तर पर गठित तकनीकी निविदा समिति के बैठक में खोली जाएगी। जिसमे निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। उनकी अनुपस्थिति में निविदा समिति की निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगी। सूखा चारा का क्रय आवश्यकतानुसार जिला पशुपालन पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा जिला से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाएगी एवं इस मद में आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

निविदा के साथ रूपये 1000=00 (एक हजार मात्र) अग्रधन के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान या पोस्ट ऑफिस सेविंग पासबुक या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से अधिपाशित करा कर जमा करना अनिवार्य है।

निविदा दाता को संबंधित प्रखंडो तक पहुँचा कर, तौलवाकर एवं रखवाकर प्रति क्विंटल दर अंकित रहना अनिवार्य है। सुखाचारा का अलग–अलग दर अंकित करना होगा।

1. निविदाताओं को आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा का 100 ग्राम नमूना के रूप मे जो पारदर्शी प्लास्टिक के थैला मे नाम, पता एवं मोबाईल नं0 निविदा के साथ जमा करना है।
2. आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूना के आधार पर नही होने पर आपूर्ति नही ली जाएगी।
3. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक दिन के अन्दर आपूर्ति नही देने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मानी जाएगी।
5. आपूर्ति आदेश के अनुसार चारा की आपूर्ति करने की सूचना तत्काल एक दिन पूर्व देनी होगी।
6. एक से अधिक निविदाताओ को एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी संवेदक को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. निविदा समिति को बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला शेखपुरा जिला (बिहार) के क्षेत्राधीन होगा।
9. निविदासूचना के लिए वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

18-6-19

जिला पशुपालन पदाधिकारी
शेखपुरा।